pan>

Title: COMPULSORY VOTING BILL, 2019 Contd.

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): सभापति जं जैसा आपने बताया कि श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, माननीय सांसद सदस्य ने 21 जू को, संयोग से मेरे जन्मदिन और योग दिवस के दिन यह बिल इंट्रोड्यूज किया था।

16.43 hrs (Shri A. Raja *in the Chair)*

इस दिन, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, 'अनिवार्य मतदान' के लिए विधेयक लाए थे। लगभग हर शुक्रवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के विद्वान सदस्यों मतदान अनिवार्य हो, इसके पक्ष में और मतदान ऐच्छिक हो इसके पक्ष में अपनी बा रखी। अनिवार्य मतदान का समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तृत में सदस्यों अपनी बात रखी। चूंकि तीन साल इस बात पर बहस हुई है और लोकतंत्र से जुड़ा य बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं सीग्रीवाल साहब को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा कि अनिवार्य मतदान का क्या दुष्प्रभाव भी हो सकता है। मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि वे अपने विधेयक को लोकतंत्र के हित में, समाज के हित में, जनहित में औ बहुसंख्यक सांसदों के पक्ष में वापस लें।

महोदय, सीग्रीवाल साहब का कहना है कि प्रत्येक मतदाता के लिए जो किस निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र है, उससे उसके मतदान का अधिका निर्वाचन आयोग द्वारा आह्वान किया जाए और उपयोग करना अनिवार्य हो। उनक यह भी कहना है कि अनिवार्य में कुछ लोगों को छूट मिलनी चाहिए जैसे किस चिकित्सा प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर कोई गंभीर प्रकृति की बीमारी से ग्रसि होने पर और भौतिक रूप से वह मतदान केंद्र तक जाने में सक्षम न हो तो छू मिलनी चाहिए। वास्तविक और सद्भावी आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा छूट प्रदा के लिए भी उन्होंने इसमें व्यवस्था रखी है। आयोग मतदान के लिए आने वाले सभ नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करे। मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है क्योंकि मेरी अपनी लोक सभा में 2200 बूथ हैं। मतदान दिवस के दिन पोलिंग स्टेश पर व्यवस्था रहती है, लेकिन मतदाता अनिवार्य रूप से आएं और रास्ते में उन्हें सुरक्ष

दी जाए, इंच-इंच पर पुलिस हो, मुझे लगता है कि यह आपका व्यावहारिक पक्ष नह
है।

आयोग केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को सभी पात्र मतदाताओं की सूच
भेजेगी, जिन्होंने अपना मत नहीं डाला है। यह भी व्यावहारिक पक्ष नहीं है। जिन्हों
मत नहीं डाला है, वह लगभग लोगों को पता रहता है, बूथ एजेंट को भी पता रहता है
लेकिन मत नहीं डाला है, अगर इसकी ऑथेंटिक सूची आ जाएगी तो मत न डाल
वाले पर, जो माफिया टाइप के राजनीति में लोग हैं, कन्विन्सिंग करते समय जि
लोगों ने उनसे वादा किया था कि हम डालेंगे, लेकिन आप सूची माँग रहे हैं कि
जिन्होंने मत नहीं डाला है, आयोग उनकी सूची भेज दे। मुझे लगता है कि इसके
खिलाफ कुछ प्रतिक्रिया भी प्रतिनिधि कर सकते हैं।

जिन लोगों ने उनको वादा किया था या कुछ उनसे ग्रहण कर लिया हो अथव
मत देने के लिए आश्वस्त किया हो और इस प्रत्याशा में कुछ लोगों ने उनक
लाभान्वित किया हो, उसके बाद आयोग से एक सूची जाए और वह यह जाए कि
इन्होंने मत नहीं डाला है, तो मुझे लगता है कि इस एक्शन का रिएक्शन भी होगा
इसलिए आपका यह सुझाव बहुत रिलेवेंट नहीं है। सीग्रीवाल साहब यह भी कह रहे
कि 500 रुपये का जुर्माना होना चाहिए। अब मनरेगा वाला लाभार्थी उस दिन वो
डाले या न डाले और न डाले, क्योंकि वह बुखार में हैं। गंभीर बीमारियों पर आप क
रहे हैं कि चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर उनको छूट दे, लेकिन मान लीजिए उ
दिन उसे हरारत है। उस दिन मनरेगा के पैसे भी उसके मारे जाएंगे और ऊपर से व
आपको 500 रुपये भी दे, तीन दिन काम के तो मुझे लगता है कि यह आर्थिक दंड भ
भारत जैसे देश में, जिसमें 80 करोड़ लोग, यह छोटी संख्या नहीं है, 80 करोड़ लोग
रुपये किलो गेहूँ और चावल के लिए इस 44 डिग्री तापमान में लाइन में लगता है औ
न मिलने पर हम लोगों से शिकायत करता है। 12 हजार रुपये के शौचालय के लि
वह प्रधान के घर के चक्कर काटता है और एक लाख 20 हजार रुपये के प्रधानमंत्र
आवास के लिए वह निरन्तर प्रयास करता है और हम सभी लोग जानते हैं कि ऐ
लोग सुबह अपने घरों पर भी आते हैं। मुझे लगता है कि उन पर आर्थिक जुर्मा
करना ठीक नहीं है। सीग्रीवाल जी ने कहा है कि जो मत देंगे, उनको केन्द्रीय सरका
की सेवा में, नौकरियों में मान्यता दी जाएगी। यह तो आपका बिल्कुल भी व्यावहारि

पक्ष नहीं है। मान लोग अब 67 परसेंट लोगों ने मतदान कर दिया, तो क्या 67 परसें
लोगों को आप नौकरी दे पाएंगे? आप यह सोच रहे हैं कि 100 परसेंट लोग मत दें त
100 परसेंट लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन वे नौकरियाँ आएंगी कहाँ से? प्रीफरेंस भ
नहीं देना चाहिए। क्या आप इसको इक्कल टू एनसीसी के सर्टिफिकेट के बराबर क
देंगे कि नौकरी में उसको प्रीफरेंस दिया जाए, जो लगातार परेड करता है और को
केवल 5 साल में एक दिन मतदान के लिए चला जाए। मुझे नहीं लगता है कि व
सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार के, ट्रांसफर, पोस्टिंग तक में या प्रमोशन में य
नौकरी देना तो बहुत बड़ी बात है, वोट देने पर उसे एक नौकरी मिले, यह ठीक बा
नहीं होगी और यह व्यावहारिक पक्ष भी नहीं है। यही आप कह रहे हैं कि उत्त
शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में अधिमान्यता दी जाएगी। मैं उत्तर भारत के सबसे ब
कॉलेज आगरा कॉलेज, आगरा में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरिट बहुत जाती है
कटऑफ बहुत जाती है, केवल मत का प्रयोग किसी ने कर दिया, इस बात पर वह
परसेंट, 4 परसेंट या एक परसेंट पाए, एक-एक नंबर पर 100-100 बच्चे एडमिश
की सीढ़ी पर खड़े होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह व्यावहारिक पक्ष नहीं है। इ
चर्चा पर हमारे विद्वान माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। मैं वर्ष 2019 से देख रहा हूँ
मुझे पता है कि रूपाला जी मेरे भाषण को निश्चित तौर से एन्जॉय करेंगे, जैसा
हमेशा करते आए हैं, क्योंकि हम दोनों लोग थोड़ी किसानों की बातें ज्यादा करते है
इसलिए हमारा है। महोदय, ऐसा प्रयोग विश्व के कुछ देशों में किया गया है
फिलीपीन्स ने किया, स्पेन ने किया, सिंगापुर ने किया, स्विट्जरलैंड ने एक छोटे
भाग में किया, थाईलैंड में किया, टर्की में किया, उरुग्वे में किया गया, यूएसए
जॉर्जिया में किया गया, वेनेजुएला में किया गया, बुल्गारिया में किया गया, चिली
किया गया, कांगो गणराज्य में किया गया, कोस्टा रिका में किया गया, साइप्रस
किया गया, डोमिनिका, इक्काडोर में, इजिप्ट में, फिजी में, फ्रांस के कुछ हिस्से में किय
गया, लेकिन तुरन्त उन्हें यह समझ में आ गया कि जो अनिवार्य वोटिंग कर रहे है
उससे कुछ विषमताएं पैदा हुई हैं और देश को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा था
उनमें से चिली ने अपने इस अनिवार्य वोटिंग को वापस लिया, साइप्रस ने अनिवा
वोटिंग को वापस लिया। इसी तरह से स्विट्जरलैंड में जो Schaffhausen है, उ
जगह होता था तो उन्होंने वापस लिया। उरुग्वे ने भी अनिवार्य मतदान को वापस ले
का काम किया। कुछ देशों ने लागू किया, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें समझ में आ गय

कि अनिवार्य वोटिंग राष्ट्र हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है इसलिए उनको वापस लेना पड़ा। इस बिल पर बहुत प्रमुख लोगों ने अपनी बात क कहने की कोशिश की है। मैं कोशिश करता हूं कि वर्ष 2019 से, मैं उन लोगों के ना उद्धृत करूं, जिन विद्वान लोगों ने इस बहस में भाग लिया है।

डॉ. सत्यपाल सिंह जी, जो मुम्बई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, बागपत सीट सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। उनका यह सुझाव है कि क्या ह शैक्षणिक संस्थाओं में राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए, इस पर चर्चा क जानी चाहिए। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि वहां पर भी नहीं, क्योंकि व्यावहारिक रूप से यह साध्य नहीं है। 18 वर्ष की आयु पर विद्यार्थी द्वारा अप शिक्षा के विषय का चुनाव किया जा चुका होगा, चर्चा में ऐसे किसी विषय को ला ठीक नहीं है। प्रह्लाद सिंह जी ने कहा कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं और प्राय: देख यह गया है कि शिक्षित व्यक्ति मतदान में कम भाग लेते हैं। हम इस बात से सहम नहीं हैं, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि शिक्षित व्यक्ति अपने मत देने के अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा, संवैधानिक उपबंध नैतिक मूल्यों प अप्रभावी होंगे।

श्री जगदम्बिका पाल, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और पंकज चौधरी साहब जी है संयोग से इन दोनों सदस्यों ने एक साथ बोला और आज दोनों लोग एक साथ बैठे हु भी हैं। संयोग से अगल-बगल के जिले से भी आते हैं। उन्होंने 22 देशों में मत देने के अधिकार को अनिवार्य बताया है इसलिए हमें भी इस पर विचार करना चाहिए। माननीय पाल साहब और पंकज चौधरी से कहना चाहूंगा कि हर देश क राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। मैं आपको पहली बार वर्ष 1984 में जब आप एमएलए और उत्तर प्रदेश के शिक्षा राज मंत्री थे, तब देखा था। जब आप अनेक्सी में आ रहे थे, तो आपके जूतों में कीचड़ लग हुई थी। इसका मतलब है कि आप कुछ नदी, नाले पार करके किसी गांव से आए थे मुझे लगता है कि आप माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री थे। मैं आपसे तीस-पैंतीस सा पुरानी बात कर रहा हूं। ... (व्यवधान) हां, रात को 12 बजे आप मुझे मिले थे। मेरा अंदाज है कि जब एक मंत्री के वाइट पैंट, शर्ट में और लोटो शूज में कीचड़ लगी हु थी तो इसका मतलब है कि आप किसी कच्चे रास्ते से आए थे। एक तरफ आप कच

रास्ते से आए थे और दूसरी तरफ आप मतदाता के बारे में सोचते हैं कि नदी, ना
पार करके, कच्चे रास्ते को पार करके, कभी-कभी मई-जून में बरसात में पोलिंग ह
जाती है, कई बार हिल स्टेशन में लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, उत्तराखंड, शिमला औ
कश्मीर में जब माइनस में टेम्परेचर होता है और आप उसे अनिवार्य मत के लिए भे
रहे हैं... (व्यवधान) बालियान साहब के यहां पर जब गन्ना कट रहा हो, ये गन्ना खा
हैं, गन्ना ओढ़ते हैं और गन्ना बिछाते हैं। गन्ना ही इनकी आर्थिक सुविधा है। जिस सा
इनका गन्ना ठीक हो जाता है, उस साल इनकी परचेज पावर बढ़ जाती है।

जिस समय कढ़ाई में गुड़ बन रहा हो और आप अनिवार्य वोटिंग के लिए कहेंगे
तो मुझे लगता है कि गन्ने के रस में थोड़ी सी मिठास निश्चित तौर से कम हो जाएगी
पाल साहब, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य अन्य देशों
भिन्न है। हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हमें उनकी प्रत्येक चीज को अंगीकृत करन
चाहिए। हमें अपनी परिस्थितियों और सापेक्ष में उसका मूल्यांकन करना चाहिए
मतदान करने को हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी उपबंधों को देखते हु
कठोरतापूर्वक अनिवार्य नहीं करना चाहिए। उक्त मुद्दे पर व्यापक रूप से विचा
करते हुए भारतीय विधि आयोग का भी यही दृष्टिकोण है। नैतिक कर्त्तव्यों औ
मौलिक कर्त्तव्यों के बीच अवश्य ही अंतर है और हमें उस अंतर का भी ध्यान रखन
चाहिए।

अभी थोड़ी देर पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर श्री भर्तृहरि महताब साहब बैठे हु
थे। उनका भी यह कहना था कि मतदान एक नागरिक अधिकार है, न कि कर्त्तव्य।
is a right and not a duty; not a compulsory duty. वैसे भी हम मौलिक अधिका
की बात ज्यादा करते हैं और मौलिक कर्त्तव्यों की बात जरा कम करते हैं। लेकि
मौलिक कर्त्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। अनिवार्य मतदान अन्य चीजों क
अतिक्रमण कर सकता है। अनिवार्य मतदान आवश्यक रूप से एक बाध्यकारी वा
है, जो वाक् की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा, क्योंकि बोलने के अधिकार
आवश्यक रूप से नहीं बोलने का अधिकार सम्मिलित है। उनका यह कहना है कि
यह अलोकतांत्रिक होगा कि किसी व्यक्ति को मतदान के लिए बाध्य किया जाए
उनका कहना है कि यह उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मैं और मेरा विभाग भ
इस बात से सहमत है कि यह उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। इसलिए माननी

सदस्य का दृष्टिकोण सही है। निर्वाचक मामलों में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों औ
कानून के उपबंधों के अनुरूप है। हुकुमदेव नारायण यादव साहब, जिनके भाषण
हम लोग बहुत लाभांवित होते रहे हैं। जब वे बोलते हैं तो गांव, गरीब, किसान, देहा
और खास तौर से हमारी बकरी और भेड़ का वे बहुत उल्लेख करते हैं।

लेकिन यहां पर वे अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया को जरूरी कहते हैं और दूस
तरफ वे हमेशा गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जातियों आदि के ह
और हुकूक की लड़ाई लड़ते थे तो जिस दिन अनिवार्य वोटिंग के लिए जाएंगे, तो मु
लगता है कि सबसे ज्यादा परेशानी में गरीब व्यक्ति आएगा, क्योंकि जो गरीब व्यक्
होता है, वह माइग्रेटिड लेबर होता है। जिस राज्य से वे आते थे, अब तो वे इस सद
के सदस्य नहीं हैं, लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगा कि जिस बिहार राज्य से वे आते
वहां के लोग पंजाब में बहुत ज्यादा नौकरी करने के लिए जाते हैं। जिस समय उन्हों
यह बात कही थी, उस समय मोदी जी का 'वन नेशन-वन ग्रिड' नहीं था, 'वन नेश
वन राशन कार्ड' उस समय नहीं हो पाया था, 'वन नेशन-वन इलैक्शन' क
अवधारणा नहीं आई थी। इसलिए ऐसा संभव नहीं था कि जिस समय उन्होंने अप
विचार व्यक्त किए थे कि बिहार की माइग्रेटिड लेबर पंजाब में काम कर रही हो औ
अनिवार्य वोटिंग के लिए उसको बिहार आना पड़े और पंजाब में वे अपना वोट न
डाल सकते थे। इसलिए उस समय की परिस्थियों के अनुसार और आज क
परिस्थियों के अनुसार यह बहुत रेलिवेंट बात नहीं है।

भानु प्रसाद मिश्रा जी ने कहा है कि इसका एक बीच का रास्ता है, वह है नो
और देख रहे हैं कि नोटा का प्रयोग जो लोग करना चाहते हैं, वे कर रहे हैं। भगवं
मान जी, यहां बोलने के बाद पंजाब चले गए हैं, उनकी राय है कि मतदान नहीं कि
जाने के लिए सरकारी सुविधाओं आदि में कटौती की जानी चाहिए। इस पर मे
कहना है कि लोग कोर्ट में चले जाएंगे कि यह उनका अधिकार है, कर्त्तव्य नहीं है
आप उनकी सरकारी योजनाओं में कटौती करेंगे, उनका राशन कार्ड छीनेंगे
उनको कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करेंगे तो निश्चित तौर से वे कोर्ट का दरवाज
खटखटाएंगे और इसमें संविधान के किसी न किसी विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्र
या उसके मौलिक अधिकार का कहीं न कहीं हनन निश्चित तौर पर होगा, इसलि
मान साहब की बात से भी हम बहुत ज्यादा सहमति व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। श्रीमा

कविता कलवा कुंतला ने यह कहा है, जो कि ठीक बात है, मतदान करने के लि
प्रोत्साहित करना चाहिए। ... (व्यवधान) दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि हमा
जनसंख्या का आकार इस प्रयास में बहुत बड़ी बाधा है। सी.आर. चौधरी, संत प्रता
जय प्रकाश नारायण निषाद जी, रमेश बिधूड़ी साहब ने इसमें भाग लिया, चन्द्रकां
खैरे साहब, टी.जी. वेंकटेश साहब ने इसमें भाग लिया। कोंडा विश्वेसरैया रेड्डी साह
ने कहा है कि अनिवार्य मतदान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकारी नीतियां औ
लोगों का प्रतिनिधित्व, जनता की इच्छा और आकांक्षा के अत्यधिक निकट होगा, य
बात किसी हद तक सही है। ... (व्यवधान) बहन जी, आधार से जोड़ रहे हैं, लेकि
अनिवार्य नहीं होगा। रमेश चन्द्र कौशिक का कहना है कि मतदान प्रतिशत बहु
कम है। इसी प्रकार से अब्दुल खालेक साहब ने भी इसमें भाग लिया। बाद में अज
मिश्रा जी और सभी लोगों ने भाग लिया। ... (व्यवधान) जी हाँ आधार को कर रहे है
पहले जिस देश में अभी सबके आधार कार्ड न बने हों, सबके राशन कार्ड न बने ह
तो कुछ गुड़ ढीला होता है, कुछ बनिया ढीला होता है, दोनों बातें होती हैं, लेकिन वह
पर हम अनिवार्य कर दें तो वोटिंग को अनिवार्य करने से पहले बहुत सी चीज़ें ह
अनिवार्य करनी चाहिए। ... (व्यवधान) रूपाला जी, जो-जो अनिवार्य होना चाहि
वह प्रधान मंत्री जी ने अनिवार्य करने की कोशिश की है। लोग क्यों वोट डालते है
क्यों जाएं? पूंछ उठा कर देखते हैं तो गड़बड़ निकलता है। सन् 1952 से चुन रहे ह
आवास नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, शौचालय नहीं मिल रहा है, उनक
हैल्थ कार्ड नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, विकलांग पेंशन नहीं मि
रही थी, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही थी। गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, लेकि
गरीबी हटी नहीं। लोगों ने एक नारे पर सरकार बना दी। गरीबों ने सोचा कि इंदि
गांधी लौट आएंगी तो गरीबी हट जाएगी। गरीबी हटी नहीं, तो उनका वोटिंग पर्सेंटे
डाउन हो गया। राजीव गांधी जी ने कहा कि वे एक रुपया भेजते हैं तो 15 पै
पहुंचता है। तो 85 पैसे जो लोग रास्ते में खा रहे थे, तो कहीं न कहीं उससे योजनाओ
की गुणवत्ता कम हुई होगी न, तो फिर उसका असर वोटिंग पर भी पड़ा। लोगों
कहा कि एक रुपये आया था और यहां तो 15 पैसे ही मिले हैं तो फिर मैं क्यों वो
डालूं। मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बता रहा हूँ जो कि ज्यादा पुरा
नहीं है। मैं ज्यादा आंकड़ेबाजी में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ आंकड़े अप
आप में बोलते हैं। वर्ष 2009, जिस चुनाव में मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री बने थे औ

राइट टू इनफॉर्मेशन और किसानों का कर्जा माफ करने वाले ऐसे कुछ काम किए थे लेकिन लास्ट में सरकार बहुत बदनाम हो गई थी। उस समय 58.19 पर्सेंट वोटिंग हुई थी। यह मैं वर्ष 2009 के आम चुनाव का बता रहा हूँ।

17.00 hrs

मैं आपको एक जादुई आँकड़ा बता रहा हूं। उसके पाँच साल बाद वर्ष 2014 में चुनाव घोषित हुए। आखिरी के दिनों में श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए। अब वर्ष 2009 और 2014 का अन्तर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि सभी हीरो-हीरोइन ने बहुत ज्यादा कहा होगा कि मतदान करो या कोई इंसेंटिव मिला होगा, किसी मतदाता को प्रभावित किया गया हो, उसे दो किलोग्राम चीनी दी गई हो, उसे बहुत ज्यादा साधन उपलब्ध कराए गए या मतदान केन्द्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी या मतदान केन्द्रों की दूरी कम हो गई थी या मतदाता सूची में कोई आमूल परिवर्तन आया था, ऐसा नहीं हुआ था। वर्ष 2009 में 58.19 प्रतिशत मतदान हुआ। नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, वे बन जाएं, उनकी सरकार आ जाए और 'गुजरात मॉडल' देश में लागू हो जाए, इस प्रत्याशा में लोगों ने इतना वोट डाले कि यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो गया। क्या कभी किसी चुनाव में हुआ है? वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967, 1969, 1974, 1977, 1980, 1984, 1989 आप कोई भी उठाकर देख लीजिए, 1991, 1996, 1998, 1999 या 2004 का चुनाव हो, मेरे ख्याल से मैंने सारे चुनावों का जिक्र कर दिया है, अचानक वर्ष 2009 और वर्ष 2014 के चुनावों में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। क्या यह अचानक हो गई?

सीग्रीवाल साहब, इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि इसे अनिवार्य न कीजिए। अगर आप गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू कर देंगे, उनको नीचे ले आएंगे, वेलफेयर स्टेट हो जाएगा, हमारी योजनाएं गरीबों के कल्याण की होंगी। अगर कोई भी सरकार पहले से 12,000 रुपये का शौचालय बनवाती, खेत में शौच करती हुई महिला की दुखद स्थिति को किस प्रधान मंत्री ने नहीं देखा है? हेडलाइट की रोशनी आने पर उसको खड़े होते हुए किसने नहीं देखा था? क्यों नहीं बने? तब तो ज्यादा बनना चाहिए था, तब तो ज्यादा गरीबी थी। जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, शास्त्री जी थे, मिसेज गाँधी थीं या उसके बाद मोरारजी भाई थे, उन्होंने ज्यादा महिलाओं को सड़क पर शौच करते हुए उनकी दुखद स्थिति को देखा होगा और उठते हुए देखा होगा।

दिल तो था, लेकिन उसमें संवेदनशीलता की बड़ी भारी कमी थी, इसलिए वे नह बने। जैसे ही श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने 'इज्ज़त घर' बनाने क काम किया। मैं यह भी बता दूं कि मतदाता केवल वर्ष 2009 के बाद वर्ष 2014 तक ही नहीं रुका है, बल्कि वर्ष 2014 के बाद जब वर्ष 2019 का लोक सभा चुनाव आय तो फिर यह 1.1 प्रतिशत बढ़ गया। इस बार, वर्ष 2019 के चुनाव में 67.47 प्रतिश था। वर्ष 2009 से 2014 के बीच में 8 प्रतिशत बढ़ा और पूरा 1.1 प्रतिशत इन पाँ सालों में बढ़ा दिया क्योंकि उस समय योजनाएं चालू थीं, वे पूरी हो नहीं पाई थीं। आ यकीन मानिएगा कि जब वर्ष 2024 का चुनाव आएगा तो तमाम सारी योजनाएं, ज निर्माणाधीन थीं, वे पूरी हो चुकी होंगी और अन्तिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी होगी, इसलिए निश्चित तौर से यह परसेंटेज भी बढ़ेगी।

मैंने फिर कहा कि यह राइट है, ड्यूटी नहीं है। इसके लिए प्रोत्साहित करन चाहिए। इसके प्रोत्साहन की दिशा में बहुत काम किए गए हैं।

इसके एक्शन में जेल हो, यह ठीक नहीं है। लॉ कमीशन ने भी इसको मना किय है। इस विषय पर विभिन्न समितियां बनी हैं। उन समितियों ने भी इसके खिलाफ में ह अपनी रिपोर्ट देने की कोशिश की है। इसलिए, मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि यह एक ऐसा विषय है, जिसमें बहुत लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं, बहुत लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं।

वर्ष 1950 में ही, जब संविधान लागू हुआ था, तब पहले ही साल में बाबा साह भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की चर्चा के दौरा यह विचार व्यक्त किया गया था कि इसे अनिवार्य किया जाए। बाबा साहब क अगुवाई में ही इसको मना कर दिया गया कि भारत जैसे विकासशील, तब त अविकसित देश था, लेकिन आज विकासशील देश है तो विकासशील देश में भी ऐस होना सम्भव नहीं है।

फिर इसके बाद निर्वाचन सुधार संबंधी राष्ट्रीय संविधान पुनरावलोकन का समिति, जिसको एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी. कहा गया है, उन्होंने भी मना किया। एव तारकुण्डे समिति बनी।

महोदय, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे कुछ मित्रों को कह 'हाई टी' में जाना है।... (व्यवधान) अच्छा, सभी को जाना है। बालियान साहब क विशेष तौर पर जाना है।... (व्यवधान) वहां मुझे भी जाना है। इसमें अभी समय है यहां से वहां जाने में तीन मिनट का अन्तर है। वह रास्ते में है। एक तरफ तो आप ती किलोमीटर पैदल चलकर अनिवार्य वोटिंग की बात कर रहे हैं और यहां थोड़ी जल्द कर रहे हैं, जहां हम तीन मिनट में एनेक्सी में पहुंच जाएंगे।... (व्यवधान)

तारकुंडे समिति ने भी कहा कि इसे निर्वाचन में मतदाताओं के लिए, उनके म डलवाने के लिए और अनिवार्य बनाने की वांछिता पर गंभीरता से विचार किया औ जब लोगों से बात की तो उन्होंने गुस्सा व्यक्त किया है, इसलिए यह संभव नहीं है इसके अनुसरण में, अनिवार्य मतदान के मुद्दे पर संसद में वर्ष 2004 और 2009 चर्चा हुई थी, जब जो दो प्राइवेट सदस्य विधेयक पुर:स्थापित किए थे। उनका भी ह वही था, हालांकि मैं आपसे निवेदन करूँगा और किसी हश्र के बारे में नहीं कहूँगा। आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप अपने इस विधेयक को वापस ले लें, तो ठीक रहेगा।

वर्ष 2004 में बी.एस.रावत ने अनिवार्य मतदान विधेयक 2004, देश में निर्वाच मंडल द्वारा अनिवार्य मतदान के लिए उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने प विचार किया जाए, उन्होंने पुर:स्थापित किया था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सांसदों के बीच में, यह बात दिमाग में आती थी कि यदि मतदान अनिवार्य हो जाएग तो उनके चयन में ज्यादा आसानी होगी या जो चयनित होगें, वे बहुमत के आधार प होंगे। कई जगहों पर कुछ लोग बूथ कैप्चर के द्वारा भी इस प्रकार से अपने पक्ष रिजल्ट कर लेते थे, इसलिए उन्होंने अनिवार्य कहा था। विधेयक के अन्य बातों के साथ विभिन्न तर्कों, प्रकृति के उपबंध, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं के शामि न होने आदि पर चर्चा हुई थी। महत्वपूर्ण बात है कि वर्ष 2009 में श्री जे.पी.अग्रवा साहब ने भी इसी प्रकार से अनिवार्य मतदान पर एक अन्य विधेयक पटल पर रखा थ और बहुत सारी बहस हुई थी। लेकिन, उस समय भी उसको उपयुक्त नहीं समझ गया।

सीग्रीवाल साहब, यह उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। उच्चतम न्यायालय भी एक रिट हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके सुझाव से सहम

नहीं हैं। यदि कोई भी व्यक्ति मत नहीं डालता है तो उसकी बिजली और पानी व
कनेक्शन काट दिया जाए।

यह तो व्यावहारिक नहीं था। ऐसी रिट्स एक्सेप्ट कैसे हो जाती हैं, इस पर भ
कई बार भरोसा नहीं होता है। इसे प्रथम दृष्टया देखना चाहिए कि अगर कोई वो
नहीं डाल रहा है तो उसकी बिजली-पानी काट दी जाए। उसके घर में 15 दिन व
एक नवजात शिशु है और बिजली कटी है, यह उचित नहीं है। वह इसलिए वोट नह
डाल पाया कि मतदान केन्द्र बहुत दूर था। इसकी सजा इस प्रकार से नहीं मिलन
चाहिए और यह व्यावहारिक बात नहीं है। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भ
उसके पक्ष में बात नहीं की है। विधि आयोग ने निर्वाचन सुधार पर अपनी 255व
रिपोर्ट में अनिवार्य मतदान के विषय पर विचार किया और भारत में अनिवार्य मतदा
को आरंभ करने की सिफारिश नहीं की। वह इसे अलोकतांत्रिक होना मान रहे है
महँगाई होना, राजनीतिक भागीदारी होना, जागरुकता की गुणवत्ता में सुधार करने
असमर्थ होना, कार्यान्वित करने में कठिनाई होना, जिसे रिपोर्ट में वर्णित अनेक
कारणों से अत्यधिक अवांछनीय होता है।

गुजरात में यह काम हुआ है। आपके यहाँ तो विधान सभा ने एक प्रस्ताव पा
कर दिया, लेकिन आपने लोकल बॉडीज़ में किया था। जो नगरपालिका परिषद, नग
पंचायत अथवा जिला पंचायत है, उसके लिए गुजरात विधान सभा ने एक प्रस्ताव पा
किया कि अनिवार्य वोट हो। उसके लिए एक रिट हुई और गुजरात उच्च न्यायालय
उस रिट को स्थगित कर दिया। सेम चीज को एक राज्य में हाई कोर्ट ने भी स्टे किय
है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उससे सहमत नहीं था
अनिवार्य मतदान के विरूद्ध मुझे कुछ बातें समझ में आ रही हैं, वह यह है कि
अनिवार्य मतदान प्रजातांत्रिक प्रथा के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरित है। प्रजातंत्र व
अर्थ जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का है, अर्थात् जनता की सर्वोच्च इच्छ
है। यदि उसकी इच्छा वोट डालने की नहीं है तो आप उसे अनिवार्य नहीं कर सक
हैं। Democracy is government of the people, by the people and for th
people. When it is also 'by the people', some people are not casting the
votes. इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको अनिवार्य कर दें। प्रजातंत्र
मतदान करने के अधिकार में मतदान न करने का अधिकार, कितनी बढ़िया बात

कि प्रजातांत्रिक तंत्र में मतदान करने के अधिकार में ही मतदान न करने क
अधिकार निहित होता है। यदि व्यक्ति की अंतर्रात्मा मतदान करने की अनुमति
देती हो तो कोई भी व्यक्ति मतदान न करने का निर्णय ले सकता है। यदि वह अप
क्षेत्र में अपने निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किए गए विकासात्मक, कल्याणकारी कार्यों
संतुष्ट न हो। पाँच बार से वह वोट दे रहा है, लेकिन उसके गाँव में सड़कें नहीं
इसलिए वे लोग बहिष्कार कर देते हैं। एक तरफ उनके गाँव का विकास नहीं हो र
है, दूसरी तरफ पता चला कि माननीय सांसद अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में उन
यहाँ गए ही नहीं हैं। उन्होंने उन लोगों को देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ आप यह
चाह रहे हैं कि उनको सजा दे दी जाए और वह इसे भुगते। वे कई बार बहिष्का
करते हैं।

इसमें दो बातें होंगी, एक तो गाँव में विकास नहीं हुआ, जब लोकतंत्र में उन्हों
अपना कोई विरोध किया तो पता चला कि उन पर दण्ड हो गया अथवा उनको जे
जाना पड़ा। इसलिए, सीग्रीवाल साहब, यह बहुत व्यावहारिक नहीं है। मैं बीच-बीच
आपसे अनुरोध करता रहूँगा और आपको कन्विन्स करने की पूरी कोशिश करूँग
कि भारत के लोकतंत्र के लिए आपका जो विधेयक है, वह कहीं न कहीं लोगों क
दुख देगा।

ऐसे कई उदाहरण हैं कि कई गाँवों में क्षेत्र की विद्यमान खराब स्थिति, जो
कहने जा रहा था, जैसे कि पेयजल की कमी, सड़कों की स्थिति आदि की तरफ ध्या
दिलाने के लिए सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार करते हैं।

हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से विकास नहीं
मतदान केंद्र पर जाकर उसके खिलाफ वोट डालना चाहिए। कोई एक गांव
बहिष्कार करने से बहुत ज्यादा रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। अगर वे इतने ही दु:ख
हैं, तो बहिष्कार करने की जगह बहिष्कार प्रतीकात्मक होना चाहिए, जिसमें पता च
जाए कि आपने विकास नहीं किया, लेकिन मतदान केंद्र पर जाकर उनके खिला
अपना मत देकर आप अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं। न उन्हें बहिष्कार कर
चाहिए और न बहिष्कार करने की सूचना देनी चाहिए। जनता को ऐसे अवसर प
आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लि
प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने में उन्हें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। मु

लगता है कि इस विषय में हम लोगों ने मतदाता बनाने के लिए भी कैंप लगाए मतदाता रैली भी रखी और देश के प्रमुख हीरो-हीरोइन, सेलिब्रिटीज़ से कहा गया कि वे निवेदन करें कि लोग मतदान में भाग लें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह भी आए दि कुछ न कुछ करते हैं। कभी एनसीसी, एनएसएस की टोलियां भी मतदात जागरुकता अभियान चलाती हैं और वोट के लिए प्रेरित भी करती हैं। निर्वाच आयोग इसका विज्ञापन भी निकालता है। निर्वाचन आयोग द्वारा स्कूल कॉलेजों तथ अन्य सार्वजनिक स्थानों में नियमित रूप से मतदाता जागरण अभियान चलाया जान चाहिए और उस दिशा में काम हो भी रहा है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्री मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत निर्वाचन आयोग द्वा विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य चुनाव में अपने म के अधिकार के प्रति मतदाताओं को जागरुक करना होता है। चुनाव में मतदा करने के लिए भारी संख्या में बाहर आने हेतु मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए प्रिं एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का व्यापक प्रयोग किया जाता है, जैसे एसएमएस आ द्वारा अपील करते हैं, मतदाता सूची भेजते हैं और पोलिंग स्टेशन पर एक बस्ता भ लगता है। मुझे लगता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की पर्चियां भी जाती हैं औ आजकल बीएलओ के द्वारा भी जाती हैं, जिससे मतदान केंद्र पर जाकर उनक ज्यादा परेशानी न हो, ढूंढना न पड़े। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने कई सुधा किए हैं, उसमें यह भी किया है कि मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। पैन्डेमिक खासतौर से जो चुनाव हुए हैं, उसमें एक हजार से कम ही मतदाताओं को रखा है मतदान केंद्र अगर वही रहा है तो बूथों की संख्या को बढ़ाने का काम चुनाव आयो द्वारा किया गया है। इस विषय में यह भी कहा गया था कि वैक्सिनेशन वगैरह कराय तभी आएं। इससे भी पर्सेंटेज बढ़ी है।

मतदाताओं की शिक्षा हेतु वर्ष 2009 में निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए ग फ्लैगशिप कार्यक्रम 'सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक भागीदारी कार्यक्रम एसवीईईपी, जो भारत में मतदाताओं की जागरुकता को बढ़ाता है तथा मतदात साक्षरता को बढ़ावा देता है, इसने मतदाताओं की उपस्थिति में क्रमिक वृद्धि करने काफी मदद की है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे सतत एवं ठोस प्रयासों क परिणामस्वरूप पिछले वर्षों के दौरान मतदान की प्रतिशतता में काफी वृद्धि हुई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1951 में मात्र 45.6 प्रतिशत मतदान हुआ था और 2019 में यह 67.74 पर्सेंट हो गया। आप इसमें अंत महसूस कर सकते हैं। उस समय के आजाद कराने वाले कहते थे, वे कांग्रेस के लो थे, जो कहते थे कि उन्होंने आजादी दिलाई, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी नह रही। देश की आजादी के कारण बहुत हैं। कांग्रेस ने इस श्रेय को लेने का प्रया किया है। जब मैं वोट ऑफ पर्सेंट देखता हूं तो 55 पर्सेंट लोगों को तत्कालीन कांग्रे के बड़े, महान दिग्गज नेता मतदान केंद्र पर नहीं ला पाए। आप सोच लीजिएगा कि 55 पर्सेंट लोगों को देश के मतदान केंद्रों पर नहीं ला पाए। वहीं 2009 और 2014 श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने की प्रत्याशा में, 2014 में ही 8.4 पर्सेंट वोट बढ़े यह क्लियर अंतर है, जिसे मैं बताना चाहूंगा। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं अप विपक्षी मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी ही लोककल्याणकारी योजनाओं क आपने वर्ष 1952 से लगा दिया होता तो सीग्रीवाल साहब को अनिवार्य वोटिंग विधेयक लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वर्ष 2009 और 2014 के बीच में नरेन्द्र मोदी ज के प्रधान मंत्री बनने की उम्मीद में और देश में विकास का गुजरात मॉडल लागू होग तो सबने सोचा कि राजनीतिक अंत्योदय होगा, सामाजिक अंत्योदय होगा औ आर्थिक अंत्योदय होगा। द्रौपदी मुर्मू जी जब से राष्ट्रपति बनी हैं, तो अंतिम पायदा पर खड़ी हुई महिला जो हमेशा हर जाति की पिछड़ी होती हैं, ऊपर से आदिवासी त ज्यादा ही पिछड़ी होती हैं, वह सबसे सर्वोच्च पद पाती हैं। मैं समझता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय योजना थी, तो अंत्योदय को लोग परिभाषि करते रहे। क्या करते रहे, आवास दे दो, शौचालय दे दो, विधवा पेंशन दे दो विकलांग पेंशन दे दो, वृद्धावस्था पेंशन दे दो।

यही अंत्योदय हुआ, सत्ता वह चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है एक आदिवासी महिला को चाबी दी न। यह मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि दीनदया उपाध्याय अंत्योदय को राजनीतिक अंत्योदय, सामाजिक अंत्योदय और न्यायिक अंत्योदय देने का काम नरेन्द्र मोदी जी, बीजेपी और एनडीए ने अंतिम पायदान प खड़ी हुई ओडिशा की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर जमीन पर परिभाषि

करने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई हैं, क्यों लोग जाते हैं? व 1947 में देश आजाद हुआ, वर्ष 1952 में 55 परसेंट लोगों को ... (व्यवधान)

श्री एस. **एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर):** मंत्री जी, आप विधेयक पर बोलिए न

***m03 प्रो. एस. पी. सिंह बघेल**: मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं, अगर 1952 में 1957 में, 1962 में, 1972 में, 1974 में इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ का नारा कब दिय था, गरीबी हटाओ के नारे से गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन सरकार आ गई। एक शे सुन लें:

गरीबी का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है

गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे।

ये लोग रिक्शा नहीं चला सकते थे, इसलिए गरीबी को बनाए रखा था। क्यों जा जब गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, आजकल परसेंटेज ज्यादा क्यों हो गई है? अग हम नहीं गए, ये वाले ज्यादा आ गए। ये आ गए तो 12 का बीमा न खत्म हो जाए कहीं 330 का बीमा न खत्म हो जाए, अभी शौचालय बना, छत नहीं बनी, कह उसकी छत न रुक जाए, आवास की नींव खुदी हैं, कहीं दीवारें चुननी बंद न हो जा आयुष्मान कार्ड में, अचानक आधी बाइपास सर्जरी हुई है तब तक नियम आ जा कि आयुष्मान कार्ड विद्रा किया जा रहा है, लोग पोलिंग स्टेशन तक आएंगे औ गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगाने के लिए मत का प्रयोग करेंगे।

मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात एक कहानी है, डनलप पर सोने वाले और एसी रहने वाले उसको रट सकते हैं, 90 परसेंट नम्बर ला सकते हैं, लेकिन उसके म और दर्द को वही समझ सकता है जिसने पूस की रात एक चादर में काटी हो।

चूंकि नरेन्द्र मोदी गरीब घर से आते हैं, इसलिए तमाम सारी लोक कल्याणका और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की प्रत्याशा में 8 परसेंट वोट बढ़ सकता है। जि दिशा में आपका विधेयक है, उस दिशा में सरकार कल्याणकारी कार्य चलाकर उ दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। आंकड़े भी बोल रहे हैं कि 8 परसेंट वो परसेंटेज बढ़ गया, उसके बाद 1.1 परसेंट और वोट बढ़ गया।

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आपसे कहूंगा कि वे चले जाएं, गुंडाराज चला जाए जमीनों पर कब्जे बंद हो जाएं, अपरहण बंद हो जाएं, इस उम्मीद से लोगों ने परसेंटेज ज्यादा कि और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। फिर लोगों ने सोचा की 2022 में कहीं गड़बड़ी न हो जाए। देश की कल्याणकारी योजना और बाबा का बुलडोजर, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की पराकाष्ठा का ज पसीना बहा, इतना परसेंटेज वोट पड़ा कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरका उत्तर प्रदेश में आई। मैं उसका आंकड़ा नहीं बता पाउंगा।

आप मेरे से माफी मांगे और मैं सीग्रीवाल साहब से माफी मागूं तो यह ज्याद ठीक रहेगा। मैं सीग्रीवाल साहब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपकी मंशा बहु अच्छी है, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, आपका विचार बहुत अच्छा है, आ डेमोक्रेसी को मुक्कमल करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के और भ कई तरीके हैं। डेमोक्रेसी किसी को दुखी करके मजबूत नहीं होनी चाहिए। अनिवा वोट करके दंड लेते हुए वह आपको चुने, ऐसे में फिर आह भी निकलेगी।

शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है

जिस शाख पर बैठे हो वह टूट भी सकती है।

वह टूट गई न, देश के तमाम राज्यों में शोहरत की बुलंदी टूट गई है, उसक पाने के लिए संसद में भी कुछ कर रहे हैं और सड़कों पर भी आने के लिए मजबूर ह गए हैं।

***m04 SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR):** Sir, I wan to ask a very special question. … (*Interruptions*)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: अनिवार्य इसलिए नहीं कि विकास करना है, विकास क प्रत्याशा में लोग जाएंगे, लेकिन अभी अनिवार्य न कीजिए।

"सौ में सत्तर आदमी फिलहाल नाशाद है,

दिल पर हाथ रखकर कहिए देश क्या आजाद है।

कोठियों से मुल्क के मेआर को मत आंकिए,

असली हिन्दुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है।"

उसी फुटपाथ पर आबाद जनता के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास के लिए 1,50,000 रुप और शहरी आवास के लिए 2,50,000 रुपये का प्रावधान किया है। इसके अला कोई इलाज के अभाव में न मरे, इसका भी ध्यान रखा है। गरीब आदमी कहां अपना बुखार ठीक करता है, वह चाय में पत्ती डालकर या तुलसी डालकर ठी करता है, उसके बाद मनरेगा के बचे हुए कुछ रुपयों को लेकर डॉक्टर के पास जा है। डॉक्टर कहता है कि पांच दिन तक एंटीबॉयोटिक चलेगी, ऑग्मेंटिन औ सेट्रिजिन चलेगा तो वह कहता है कि भाड़ में जाए तुम्हारी ऑग्मेंटिन और सेट्रिजि हमारे पास 28 रुपये बचे हैं, इसमें दवा दे दो। वह नीली, लाल और पीली गोलियों क कागज में लपेटकर दे देता है। मरना हम सबको है, लेकिन इलाज के अभाव में को नहीं मरेगा, क्योंकि प्रधान मंत्री जी की स्वास्थ्य योजना में 'आयुष्मान कार्ड' में पां लाख रुपये प्रति परिवार को मिलेगा।

श्रमिकों का भी ख्याल रखा गया है, इसलिए श्रमिक का परसेंटेज ज्यादा क देंगे। आप अगली बार देख लीजिएगा। हमने ई-श्रमिक कार्ड भी बना दिया है। ह कोशिश करनी चाहिए कि जब हम कहीं से राशन ले सकते हैं तो कहीं से वोट भ डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि यह ज्यादा अच्छी बात है। जब इलेक्ट्रॉनिक, ने आदि की व्यवस्था ठीक हो जाएगी और जब साइंस टेक्नोलॉजी में आगे आ जाएगा त यह व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर बिहार की माइग्रेटेड लेबर पंजाब में है तो वे वह काम करते हुए वोट डाल सकें। वे पंजीकृत हो जाएं। ऐसे में उन लोगों को कष्ट होग जो बूथ कैप्चर करके मैनपुरी, आजमगढ़, करहल, फिरोजबाद, बदायूं और संभ जैसी सीटों को निकाल लेते हैं। ... (व्यवधान) अनिवार्य वोटिंग फिजिकली नहीं हो चाहिए। जिस दिन हम साइंस टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाएंगे और जब हम अप मोबाइल से कहीं से भी वोट डाल सकेंगे, तब आपका यह विधेयक थोड़ा रिलेवें होगा। ... (व्यवधान)

"कभी पीने पिलाने में, कभी आगे बढ़ाने में,
यूं होती तकरार उनमें,
यूं ही चलती थी तलवार उनमें ।"

मुझे आपके मधुर संबंध का आभास है। यह नोक-झोंक होती रहनी चाहिए आप जैसे लोग पिछली बेंच पर बैठकर बहुत सारगर्भित टिप्पणियां करते हैं। आज त आप फ्रंट सीट पर बैठे हैं। बैक बेंचर हमेशा पढ़ाई में कमजोर नहीं होते हैं। य निशिकांत दुबे जी ने सिद्ध कर दिया है कि पीछे वाली बेंच पर बैठकर 'व्यवस्था व प्रश्न' के नाम पर जितनी बार आपने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मांगा है, मुझे लगता है कि संसदीय इतिहास में यह भी एक रिकॉर्ड होगा। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर वही मांग सकत है, जिसके पास कुछ नॉलेज होती है। ... (व्यवधान) बिहार और झारखंड के लोगों आपस में होड़ मची है।

मैं सीग्रीवाल साहब से अनुरोध करूंगा, क्योंकि बहुमत जनता ने इसके पक्ष अपने मत व्यक्त नहीं किए हैं। नेशनल लॉ कमीशन और हाई कोर्ट ने भी इसके प में अपनी बात नहीं कही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रतिकूल टिप्पणी की है जब आम जनता से बात की गई तो उन्होंने रोष व्यक्त किया है। क्यों न हम जनता क्रेडिबिलिटी पैदा करें, कल्याणकारी काम करें, जिससे जनता मतदान के लिए आ और उसी सरकार को रिपीट करने की कोशिश करे, जिसकी कल्याणकारी योजना चल रही हैं।

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने 'अनिवार्य वोटिंग' के विधेयक व ससम्मान वापस ले लें। मैं ऐसी करबद्ध प्रार्थना आपसे और सदन से भी करन चाहूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी।

***m05 श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल** : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जि तरीके से अनिवार्य मतदान विधेयक पर अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने बहुत सारी बात को आज की परिस्थिति में अनुकूल पाया है। लेकिन आज जो सरकार है, जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनकी जो भावना है, मुझे लगता है कि उनकी भावन आज पूरे नेशन को एकसूत्र में बांधकर एक रूप में ले चलने की है। चाहे उस जीएसटी हो, एक नेशन एक कर की बात हो, चाहे वन नेशन वन कार्ड की बात ह उसी तरीके से अनिवार्य मतदान की भी बात है।

सभापति महोदय, वर्ष 2019 के चुनाव के आंकड़ों के अनुसार लगभग 90 करो
मतदाता हैं। इसमें 60 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। मं
महोदय इन लोगों को दंड देने की बात बता रहे थे। मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि
उनको दंड दिया जाए, लेकिन मतदान कराने के लिए जितने पैसे खर्च किए जाते हैं
छात्रों द्वारा रैलियां निकाली जाती हैं, अधिकारियों से रैलियां निकाली जाती हैं,
चुनाव प्रचार-प्रसार में पैसे खर्च करते हैं। मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि अग
अनिवार्य मतदान कर दिया जाए, तो जो सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, सम
लगता है, तो वह पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में लगाया जाए।

मेरा यह कहना है, इसीलिए मैं यह बिल इस सदन में लेकर आया था। मैं सद
को बधाई देता हूं, मैं यह भी कहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक बिल होगा, जिस
16वीं लोक सभा में साढ़े 10 घंटे चर्चा हुई और 17वीं लोक सभा में भी 7 घंटे से ज्या
चर्चा हुई है। लगभग दो दर्जन से ज्यादा माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे है
सबने कहीं न कहीं पॉजिटिव बात को रखा है कि अनिवार्य मतदान करने से क
फायदा होने वाला है।

सभापति महोदय, कई एक स्तरों पर मनी पावर, मसल पावर, अन्य तरीके
मतदाताओं को डरवाकर, धमकाकर, पैसे के बल पर मतदान केन्द्रों में न जाने
लिए विवश करते हैं, उनका अनिवार्य मतदान हो जाएगा, तो सरकार भी उसक
व्यवस्था करेगी, चुनाव आयोग भी उसकी व्यवस्था करेगा। चुनाव आयोग ने तो क
एक नई व्यवस्थाएं भी खड़ी कर दी हैं। इसी वजह से आज मुझे लगता है कि मतदा
में और ज्यादा प्रतिशत बढ़ा है।

वर्ष 2014 में मतदान 66 प्रतिशत के लगभग था। वर्ष 2019 में मतदान 6
प्रतिशत से ज्यादा हो गया था। मैं मंत्री जी से एक बात पर सहमत हूँ। इन्होंने कहा
कि गरीब कल्याण योजनाओं से मतदाताओं में विश्वास बढ़ता है और वे मतदान के
पर जाते हैं। यह बात सही है। मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, जिससे गरीबों क
कष्ट हो। गरीबों का इससे कल्याण ही होने वाला है। चुनाव आयोग ने कई नियम
बनाए हैं। जब पहले मतदान होता था तो वह बैलेट पेपर से होता था, लेकिन आज व
मतदान प्रणाली बदली और बैलेट की जगह पर ईवीएम से मतदान हो रहा है।

पहले आपको आई कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब चुना आयोग ने आई कार्ड के लिए भी कई तरह की प्रोसेस को लाने का काम किया है यह चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेवारी के तहत हुआ है। सब लोगों का मतदान कै उनके मतदान पर हो सके, यह चुनाव आयोग तय करे। आज पॉजिटिव सरकार है आज सरकार ने इसके लिए कई स्तरों पर सुविधा देने का काम भी किया है।

सभापति महोदय, आज आधुनिक मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं। महिलाएं भ शत-प्रतिशत मतदान केन्द्रों का संचालन करें, मत दिलवाने का काम करें, ऐसी भ व्यवस्था बनाई गई है। आज विशेष रूप से मतदान केन्द्रों पर बैठने के लिए, पीने के पानी के लिए और केन्द्रों के आगे टेन्ट इत्यादि लगवाने की सुविधा देने का काम भ चुनाव आयोग कर रहा है। ऐसे ही चाहे दिव्यांग मतदाता हों, प्रेगनेंसी के समय प हमारी बहनें मतदाताएं हों, उनको गाड़ी भेजकर मतदान केन्द्र पर लाने की व्यवस्थ बनाई गई है। आज इस तरह से सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। मैं यह कहता हूँ कि अगर य अनिवार्य होता है तो और ज्यादा सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और जितने पैसे अपव्यय ह रहे हैं, इन चीजों में जो समय व्यतीत हो रहा है, वह समय और अपव्यय होने की बा अब खत्म होंगी। इससे लोगों को व्यापक लाभ मिलेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूँ कि यह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी क सरकार है, जो देश के प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का काम कर रहे हैं। एज मुख्य मंत्री गुजरात में अनिवार्य मतदान हो, उसके लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्थ में इसे लाने का काम किया था। मैं माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि उन्हें एक बा प्रधान मंत्री जी से मिलकर इस विषय पर विचार-विमर्श करना चाहिए। चूँकि यह को सामान्य बात नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जब ऐसे बिल आते हैं तो इस बैलेट वोटिंग की जगह पर दूसरा तरीका अपनाने का काम करते हैं। आज चुना आयोग हर स्तर पर नई व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रहा है। सरकार भी न व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रही है और सरकार तथा चुनाव आयोग को मिलक एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि सबका मतदान कैसे हो सके।

मैं यह नहीं कहता हूँ कि अगर मजदूर बाहर है तो वह मतदान न करे। हम बाहर भी बैलेट व्यवस्था बना रखी है। जिस तरीके से हमारे आर्मी मैन या जिस तरीके से बाहर काम करने वाले लोग आज भी बैलेट वोटिंग करते हैं। यह व्यवस्था चुना

आयोग और सरकार को मिलकर बनानी चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि आप एक बार पुन: विचार कीजिए। आपने मुझसे आग्रह किया है लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि इस बिल को आप स्वीकार कीजिए और अनिवा मतदान करने की व्यवस्था को लागू कीजिए। चूँकि यह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। वे गरीबो के कल्याण के लिए तमाम चीजों को नीचे तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहे प्रधान मंत्री जनधन योजना की बात कर लीजिए। करोड़ लोगों ने बैंको का मुंह नहीं देखा था, उन्होंने खाते नहीं देखे थे, वे उनका खात खुलवाने में सक्षम हो सकते हैं। वे सभी लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने में सक्ष हो सकते हैं। वे आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सभी के इलाज के लि व्यवस्था करने में सक्षम हो सकते हैं।

आज वे गरीब कल्याण योजना के तहत दुनिया की सबसे बड़ी अन्न वितर प्रणाली चालू करने में सक्षम हैं। आज कोरोना की महामारी के समय में पूरे देश 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगवाकर लोगों को सुरक्षित करने में सक्षम हो रहे है आज चाहे प्रथम डोज हो, दूसरी डोज हो, बूस्टर डोज हो या चाहे बच्चों के लिए डो हो, वे आज पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था को बनाने में सक्षम हैं तो मुझे लगता कि अनिवार्य मतदान के लिए निश्चित रूप से यह सरकार सक्षम होगी। मैं यह कहत हूँ कि जब मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। माननीय मंत्री जी एक बार निश्चित रूप आप विचार-विमर्श करें। सभी मतदान करें और मतदान का परसेंटेज बढ़े। मु लगता है कि वास्तव में सही रूप में जब सब मतदान करते हैं तो सही मायनों लोकतंत्र का प्लेटफॉर्म भी मतदान केन्द्र ही होता है। जब शत-प्रतिशत मतदान होग तब अच्छा और सम्मुख लोकतंत्र बनेगा।

यह मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मैं पुन: मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जि तरीके से प्रधानमंत्री जी की भावना है, जिस तरीके से यह सरकार काम कर रही है देश के कल्याण के लिए, देश के हर व्यक्ति के कल्याण के लिए, देश के गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं को शत-प्रतिशत धरती पर लागू करने में सफल य सरकार है, उसी तरीके से आज ऐसे अनिवार्य मतदान को भी आप अमली रू दीजिए और इसे स्वीकार करने का काम कीजिए। माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि यह दायित्वों का पालन करना है, यह किसी पर बोझ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ह

दायित्व का स्वयं पालन करते हैं और देश के लोगों को भी ऐसा करने के लिए आग्र
करने का काम करते हैं। इसलिए मेरा पुन: माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आ
इस पर पुन: विचार करिए और इसको स्वीकार करके देश में अनिवार्य मतदान ला
करने की दिशा में कार्रवाई करने का काम कीजिए। मेरा आपसे यही आग्रह है।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य श्री जनार्दन सिं
सीग्रीवाल, जिनका यह विधेयक है, ने अपनी संवेदनशील भावनाओं से सदन क
अवगत कराया है और अनिवार्य मतदान के लिए पुन: सदन से अनुरोध किया है,
इस सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि ऑपरेशन तो सफल ह
गया, लेकिन मरीज मर गया। कहीं ऐसा न हो कि लोकतंत्र में कुछ आक्रोश सा अ
जाए। काफी बातें अच्छी थीं, लेकिन अर्ध-सत्य बातें हैं। इनकी भावनाओं की मैं इज्ज
करता हूं, इनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं और इनकी भावनाएं लोकतंत्र को मुकम्म
करने की हैं। उनका आशय यह है कि अनिवार्य मतदान होगा तो जो रिजल्ट आएग
वह सही में बहुमत वाला रिजल्ट आएगा। मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि अ
जब 68 प्रतिशत तक मतदान होने लगा है और आपका जोर अनिवार्य पर कम है
आपका आग्रह इस बात पर है कि लोग मतदान ज्यादा करें। इसलिए मैं सदन क
और माननीय सीग्रीवाल साहब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी क
सरकार में जब लोग 12 रुपये के बीमा से लाभान्वित होंगे, 330 रुपये के बीमा
लाभान्वित होंगे, आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित होंगे, उज्ज्वला गैस सिलेंडर
लाभान्वित होंगे, शौचालय से लाभान्वित होंगे, आवास से लाभान्वित होंगे, शिक्ष
चिकित्सा से लाभान्वित होंगे, ई-श्रमिक कार्ड में कक्षा पांच तक 50 रुपये वीरेन्द्र जी
रहे हैं।

आपके समाज कल्याण विभाग की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रह
हैं। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, एससी-बीसी के छात्र
को आप बड़ी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको कोचिंग के लिए आप पैसा दे रहे है
उनकी शादियों में 51 हजार रुपये उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

***m06 श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** माननीय सदस्य से अनुरोध कीजिए कि व
बिल विदड्रॉ कर रहे हैं या नहीं?

***m07 प्रो. एस. पी. सिंह बघेल**: हाँ, मैं अनुरोध करूंगा।

आपने भी अपने वक्तव्य में विदड्रॉ करने वाली बात ही कही है, मैंने आपक वक्तव्य पढ़ा है। जब ये सब काम होंगे, जब ई-श्रमिक कार्ड में कक्षा पांच तक 5 रुपये, मिडिल में 100 रुपये, हाई स्कूल में 150 रुपये, इंटरमीडिएट में 200 रुपय डिग्री कॉलेज में 3000 रुपये, पॉलिटेक्निक में 3000 रुपये, आईटीआई में 800 रुपय इंजीनियरिंग कॉलेज में 8000 रुपये, मेडिकल कॉलेज में 12000 रुपये और पीएचड के छात्रों को 15000 रुपये मिलेंगे, तब वे निश्चित रूप से मतदान केन्द्र पर ज्याद जाएंगे।

आपने यह कहा है कि इस वैश्विक महामारी में एक वैश्विक नेतृत्व के रूप नरेन्द्र मोदी जी उभरकर आए हैं और लोग कहेंगे कि हम सुरक्षित हैं तो क्यों मतदान केन्द्र तक जाएं। उत्तर प्रदेश और देश के भाजपा शासित राज्यों में लॉ एं ऑर्डर अच्छा है, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि लोग अपने गांवों मतदान केन्द्र तक जाएंगे, क्योंकि रास्ते में उनके साथ कोई व्यवधान नहीं होगा। व 2014 में नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की प्रत्याशा में साढ़े प्रतिशत वोट बढ़ और इस बार एक प्रतिशत बढ़कर यह साढ़े नौ प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2009 यूपीए की सरकार से एनडीए की सरकार में साढ़े नौ प्रतिशत वोट अचानक बढ़ा है मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे-जैसे ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू होंगी औ अपने वैश्विक नेता के प्रति लोगों में एक श्रद्धा की भावना होगी तो उनको दोबारा ला के लिए, रिपीट करने के लिए, अपने हक को पाने के लिए लोग ज्यादा संख्या मतदान करेंगे। मैं पुन: कहूंगा कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकि भारत जैसे देश में जहां 80 करोड़ लोग पीडीएस का भोजन करते हैं, 12 रुपये व बीमा कराते हैं, ऐसे में अनिवार्य रूप से मतदान केन्द्र पर जाना समीचीन नहीं होगा मैं आपसे पुन: अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपना अनिवार्य मतदान संबंध विधेयक है, इसे वापस ले लें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐस कल्याणकारी योजनाओं से, जो आपकी मूल भावना है, वह अनिवार्य वोटिंग औ वोटिंग परसेंटेज के बीच की बात है।

नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग काम करेंगे। निश्चित तौर से जो एव राजनीतिक क्रेडिबिलिटी है, उसको सभी लोग प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर से लो

मतदान केन्द्रों पर जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को मुकम्मल करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपने इस विधेयक को विदड्रा कर लीजिए।

***m08 श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल** : मैं माननीय मंत्री जी के आग्रह पर एक विनत करते हुए कि वास्तव में मतदाताओं के लिए जो व्यवस्था सरकार और आयोग बढ़ा रहा है, उसमें और परसेंटेज बढ़ाने के लिए, जो फिजूलखर्ची है, उस पर न करके सीधे मतदाताओं पर उनकी सुविधा पर खर्च हो। उनको मतदान करने में कैसे सहूलियत हो सके, इस पर खर्च हो। यह आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया है। मुझे इस सरकार पर पूरा विश्वास है, मुझे माननीय नरेन्द्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि जो कहते हैं, वह करते हैं। उनका पूरा का पूरा यही मूलमंत्र है कि 'सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'। हम सबके प्रयास से यह परसेंटेज और बढ़े, हाई हो। यह विश्वास करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर तथा यह सरकार निश्चित रूप से इसको और आगे बढ़ाएगी तो मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

***m09 HON. CHAIRPERSON**: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The Member may now withdraw the Bill.

***m10 श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल** : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन प इस सरकार के विश्वास पर अपने इस विधेयक को वापस लेता हूं।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : मैं आभार प्रकट करता हूं।

***m11 SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR):** Sir, may ask a question? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Member has already withdrawn the Bil Where is the possibility of a question? The question does not arise.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There are some more Bills for introduction.

***m12 SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN**: Sir, I have a Point of Order. ....*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON : There is no Point of Order in the Privat Members' Business.

....*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Some of the hon. Members, who have been le out to introduce their Bills, may introduce them now.

Item no. 120: Shri Bhartruhari Mahtab – Not present

Item no.134: Dr. T. Sumathy

-